कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

नाका चंद्रबदनी, लश्कर, ग्वालियर – 474009

क्रमांक: 1882.../एम.पी.एल.आर.एस./2026 **दिनांक:** 12../01/2026

प्रति,

जिला कलेक्टर,
समस्त, मध्यप्रदेश शासन

विषय: आबादी भूमि घोषणा के संबंध में।

1/ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधित 2018) की धारा 243 से 246 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा आबादी भूमि घोषित की जा सकती है। यदि आबादी क्षेत्र के समीप स्थित दखलरहित भूमि आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 243 के उपबंधों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

2/ भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ दिनांक 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 7 जुलाई 2020 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 64, 107(1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020 के अंतर्गत किया जा रहा है।

3/ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020 के अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने का प्रावधान है, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधित 2018) के लागू होने की तिथि 25.09.2018 को आबादी भूमि के अंतर्गत आती थीं अथवा जिनका उक्त तिथि के पश्चात विधिवत रूप से आबादी भूमि में भू-खण्ड आवंटित किया गया है।

4/ स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन से पूर्व जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 42,055 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई, जिनमें से 480 ग्राम ऐसे पाए गए जहाँ वस्तुतः स्वामित्व योजना का कार्य नहीं किया जाना है (जैसे—वीरान ग्राम, वन ग्राम, डूब ग्राम आदि)। इस प्रकार प्रदेश में 41,575 ग्राम स्वामित्व योजना की परिधि में आते हैं, जिनमें से 39,657 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों में कार्यवाही प्रचलित है। 20 जिलों में सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत सर्वेक्षण समाप्ति की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।

5/ यह आवश्यक है कि यदि कोई क्षेत्र आबादी घोषित होने से शेष है तो उसे आबादी घोषित कर सर्वेक्षण की परिधि में लिया जाये ताकि पात्र हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार किया जा सके अतः कृपया इस बारे में परिक्षण कर ले यदि आपके जिले में कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे आबादी क्षेत्र घोषित किया जाना वांछित हो, अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जो पूर्व से आबादी क्षेत्र घोषित है परन्तु स्वामित्व योजना की परिधि में सम्मिलित नहीं हो सका है, तो उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में 19 जनवरी 2026 तक इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि इसे क्षेत्रो का ड्रोन सर्वेक्षण कराने आदि के बारे में आगेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जा सके

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

12/1/26

(अनुभा श्रीवास्तव)
आयुक्त,
भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

क्रमांक: 1882.../एम.पी.एल.आर.एस./2026 दिनांक: 12../01/2026

प्रतिलिपि –

1. **प्रमुख सचिव**, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, 12/1/26
भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश

कार्यालय तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन जिला सिवनी (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक/108/भू-स.प्र./स्वामित्व /वे.जी.से./2026, सिवनी दिनांक 28/01/2026

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर जिला सिवनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. तहसीलदार सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/छपारा/ लखनादौन/धनौरा/घंसौर/सिवनी नगर जिला सिवनी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त पत्र से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंविलंब भेजा जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
भू-संसाधन प्रबंधन, सिवनी

परिशिष्टः- "अ"

जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	LGD कोड	आबादी घोषित खसरा क्रमांक	खसरे का रकबा	आबादी घोषित करने की दिनांक	रिमार्क